पत्र संख्या : 7ब / 4702 यो०ज०सं०–10 / 15 48

झारखण्ड सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

सुखदेव सिंह,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची / दुमका;
संबंधित अधीक्षण अभियंता / संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

राँची, दिनांक : 16-6-15

विषय :– माँग संख्या–50–लघु सिंचाई विभाग के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष–4702–लघु सिंचाई पर पूँजीगत् परिव्यय, लघु शीर्ष–101–सतही जल, उप शीर्ष–31–सर्वेक्षण एवं अनुसंधान परामर्श एवं मूल्यांकण संरक्षण, विस्तृत शीर्ष–07–अन्य व्यय, 59 अन्य व्यय, विपत्र कोड–50P470200101310759 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015–2016 में व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2015–2016 में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष **4702–लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय** के अंतर्गत संलग्न परिशिष्ट–1 में अंकित उप शीर्ष, विस्तृत शीर्ष एवं विपत्र कोड़ में दर्शाये गये कार्यालयों को आवंटन संसूचित किया जाता है :–

क्र०	माँग संख्या / मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष / उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष / विपत्र कोड	आवंटित राशि (लाख रू० में)
1	2	3	4	5
1	50–लघु सिंचाई विभाग / 4702–लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	101–सतही जल / 18–सर्वेक्षण एवं अनुसंधान परामर्श एवं मूल्यांकण संरक्षण	07–अन्य व्यय, 59 अन्य व्यय, विपत्र कोड–50P470200101310759	**58.00**
आवंटित राशि – ₹ अंठावन लाख मात्र।				

2. आवंटित राशि वर्ष 2015–2016 के **बजट उपबंध रू० 80.00 लाख (अस्सी लाख)** मात्र के अंतर्गत है।
3. आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्त्ते वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि० (2) दिनांक 17.04.98 एवं 1800 (वि०) दि० 15.07.2003 के आलोक में होगा।
4. आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति में वर्णित शर्त्तों का अक्षरशः पालन करते हुए तकनीकी स्वीकृति के अंतर्गत एवं परिशिष्ट 1 पर वर्णित कार्यों के अनुरूप किया जायेगा।
5. संबंधित मुख्य अभियंता एवं संबंधित अधीक्षण अभियंता योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगें कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
6. राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र / चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र / चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र / चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र / चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
7. सरकारी नियम / अधिनियम यथा वन अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
8. राशि की निकासी कर उसे चालू / बचत खाता में नहीं रखा जाय।

(ओंकार नाथ)
सहायक अभियंता

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि०)

9. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।

10. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगें। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगें कि इकाईवार व्यय किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।

11. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग–1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।

12. AIBP योजनाओं के लिए MOU में भारत सरकार द्वारा अंकित सभी अनुदेशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। साथ हीं तत्संबंधी प्रतिवेदन विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।

13. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।

14. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 जनवरी 2016 तक निश्चित रूप से कर देंगे। राशि का प्रत्यार्पण कार्यवार, उप शीर्षवार किया जाय तथा जिस Access No से आवंटन प्राप्त हुआ था उसको भी अंकित करना आवश्यक है।

नोट : आवंटित राशि को Online Allotment System द्वारा निर्गत किया जा चुका है जिसका Access no परिशिष्ट–1 के स्तंभ–12 में अंकित है। यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (http://www.wrdjharkhand.nic.in) पर भी उपलब्ध है।

अनु॰ :– यथोक्त

Sukhdev 14/5

(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :– 48 रॉची, दिनांक :– 16-6-15

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (लेखा एवं हक॰) झारखण्ड; पो॰ – **हिनू, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, रॉंची/डोरण्डा/ गढवा/ हुसैनाबाद /हजारीबाग/ रामगढ़/ चतरा/ गिरिडीह / दुमका/ देवघर /गोड्डा/ मेदिनीनगर/कोडरमा/धनबाद/बोकारो** सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु॰ :– यथोक्त

Sukhdev 14/5

(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :– 48 रॉंची, दिनांक :– 16-6-15

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त,/सचिव योजना एवं विकास विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो॰) रॉंची/अभियंता प्रमुख –I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि॰)/उप सचिव (अभि॰) जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति/प्रशाखा–7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/ प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉंची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु॰ :– यथोक्त

(ओंकार नाथ)	(मुक्ति साधन चौरसिया)	**(सुखदेव सिंह)**
सहायक अभियंता	उप सचिव (अभि॰)	**प्रधान सचिव**

पत्रांकः – 48 /राँची, दिनांक– 16-6-15

परिशिष्ट–1

माँग संख्या–50–लघु सिंचाई विभाग
मुख्य शीर्ष – 4702 लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय
लघु शीर्ष –101–सतही जल,
उपशीर्ष – 31– सर्वेक्षण एवं अनुसंधान परामर्श एवं मूल्यांकण संरक्षण,
विस्तृत शीर्ष–07–अन्य व्यय, 59–अन्य व्यय
विपत्र कोड–50P470200101310759
बजट उपबंध (वर्ष 2015–16) रू॰ 80.00 लाख (अस्सी लाख) मात्र।

(राशि – लाख ₹ में)

क्र॰	कार्यालय का नाम	जिला	मुख्य अभियंता प्रक्षेत्र	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति का		मार्च 2015 तक का व्यय	वित्तीय वर्ष 2015–16 में आवंटन			On-line Allotment Access No.	अभ्युक्ति
					प्रसंग	राशि		पूर्व का आवंटन	वर्त्तमान आवंटन	कुल आवंटन		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	लघु सिंचाई प्रमण्डल, गढ़वा (GRHMIR001)	गढ़वा	मुख्य अभियंता लघु सिंचाई, राँची/दुमका	लघु सिंचाई प्रक्षेत्राधीन वित्तीय वर्ष 2015–16 में सतही सिंचाई योजनाओं के सर्वेक्षण हेतु	03/15–16 प्र॰स्वी॰ दिनांक–08.05.2015	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	42324	
2	लघु सिंचाई प्रमण्डल, हुसैनाबाद (PLMMIR044)	मेदिनीनगर				5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	42325	
3	लघु सिंचाई प्रमण्डल, हजारीबाग (HZBMIR001)	हजारीबाग				5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	42326	
4	लघु सिंचाई प्रमण्डल, रामगढ़ (RGHMIR012)	रामगढ				5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	42327	
5	लघु सिंचाई प्रमण्डल, चतरा (CTRMIR001)	चतरा				5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	42328	
6	लघु सिंचाई प्रमण्डल, गिरीडीह (GRDMIR001)	गिरीडीह				5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	42329	
7	लघु सिंचाई रूपांकण प्रमण्डल, दुमका शिविर देवघर (DMKIRR025)	दुमका/देवघर				5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	42330	
8	लघु सिंचाई प्रमण्डल, गोड्डा (GDDMIR014)	गोड्डा				3.00	0.00	0.00	3.00	3.00	42331	
9	लघु सिंचाई प्रमण्डल, मेदिनीनगर (PLMMIR041)	मेदिनीनगर				5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	42332	
10	लघु सिंचाई प्रमण्डल, कोडरमा (KDMMIRA01)	कोडरमा				5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	42333	
11	लघु सिंचाई प्रमण्डल, धनबाद (DHNMIR001)	धनबाद				5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	42334	
12	लघु सिंचाई प्रमण्डल, बोकारो (BKRMIR001)	बोकारो				5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	42335	
							योग	**0.00**	**58.00**	**58.00**		
आवंटित राशि – ₹ अंठावन लाख मात्र।												

(ओंकार नाथ)
सहायक अभियंता

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि॰)

(सुखदेव सिंह) 14/5
प्रधान सचिव